उपायुक्त-सह-अध्यक्ष का कार्यालय
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या – 02/2016–17 चाईबासा/ दिनांक :– 26.10.2016

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी पंचायतों में पंचायत स्वयंसेवक/स्वच्छताग्राही का स्वच्छता संबंधी जागरूकता एवं उन्मुखीकरण हेतु दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनुमण्डल स्तर पर देने हेतु दिनांक 11.11.2016 के अपराहन 02.00 बजे तक जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, गांधी टोला, चाईबासा के कार्यालय में इच्छुक संस्थान/एन०जी०ओ० से निम्नलिखित शर्तो पर मुहरबन्द इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक 11.11.2016 के अपराहन 04.00 बजे पूर्व के गठित क्रय समिति के समक्ष उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने वाले संस्थान/एन०जी०ओ० के अध्यक्ष, सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है।

नियम एवं शर्तें :–

1. स्वच्छताग्राहियों का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनुमण्डल स्तर पर लगभग 30 अभ्यार्थियों के ग्रुप में सम्पन्न कराना होगा।
2. प्रशिक्षण की सम्भावित संख्या 8 है जो घट–बढ़ भी सकती है। प्रशिक्षण का कार्य कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर पूर्ण करनी होगी।
3. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के रहने, खाने–पीने की व्यवस्था, प्रमाण–पत्र, यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान नियमानुसार करना होगा।
4. प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था संबंधित संस्थान/एन०जी०ओ० को ही करनी है।
5. यह इच्छा की अभिव्यक्ति दोहरी लिफाफा प्रणाली पर आधारित होगी जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बीड के रूप में अलग–अलग अंकित रहेंगें। ये दोनो लिफाफो को एक लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा।
6. निविदादाता को आयकर रिर्टन (अद्यतन), पैन नं०, संस्थान/एन०जी०ओ० के निबंधन एवं कार्यानुभव से संबंधित कागजात एवं संस्थान के काली सूची में न होने की नोटरी का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदा के साथ निविदा शुल्क की राशि 10000/– का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, चाईबासा के पदनाम से भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
8. तकनीकी लिफाफें में निविदादाता के कार्यानुभव एवं निविदा में मांगी गयी अन्य सूचनाओं के साथ अग्रधन (सुरक्षित जमा) राशि सम्मिलित रहेगी।
9. निविदा का वित्तीय लिफाफे में निविदादाता को **प्रति प्रशिक्षण का दर** अंकित करना होगा।
10. तकनीकी मूल्याकंन निविदा में योग्य पाये जाने वाले संस्थान/एन०जी०ओ० का ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को सुरक्षित होगा।
13. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समिति का निर्णय मान्य होगा।

25-10-16

कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष का कार्यालय
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अति अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या – 02/2016–17 चाईबासा/ दिनांक :– 26.10.2016

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी पंचायतों में पंचायत स्वयंसेवक/स्वच्छताग्राही का स्वच्छता संबंधी जागरूकता एवं उन्मुखीकरण हेतु दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनुमण्डल स्तर पर देने हेतु दिनांक 11.11.2016 के अपराहन 02.00 बजे तक जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, गांधी टोला, चाईबासा के कार्यालय में इच्छुक संस्थान/एन०जी०ओ० से निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबन्द इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक 11.11.2016 के अपराहन 04.00 बजे पूर्व के गठित क्रय समिति के समक्ष उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करने वाले संस्थान/एन०जी०ओ० के अध्यक्ष, सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है।

नियम एवं शर्तें :–

1. स्वच्छताग्राहियों का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनुमण्डल स्तर पर लगभग 30 अभ्यार्थियों के ग्रुप में सम्पन्न कराना होगा।
2. प्रशिक्षण की सम्भावित संख्या 8 है जो घट–बढ़ भी सकती है। प्रशिक्षण का कार्य कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर पूर्ण करनी होगी।
3. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के रहने, खाने–पीने की व्यवस्था, प्रमाण–पत्र, यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान नियमानुसार करना होगा।
4. प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था संबंधित संस्थान/एन०जी०ओ० को ही करनी है।
5. यह इच्छा की अभिव्यक्ति दोहरी लिफाफा प्रणाली पर आधारित होगी जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बीड के रूप में अलग–अलग अंकित रहेंगें। ये दोनो लिफाफो को एक लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा।
6. निविदादाता को आयकर रिर्टन (अद्यतन), पैन नं०, संस्थान/एन०जी०ओ० के निबंधन एवं कार्यानुभव से संबंधित कागजात एवं संस्थान के काली सूची में न होने की नोटरी का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदा के साथ निविदा शुल्क की राशि 10000/– का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, चाईबासा के पदनाम से भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
8. तकनीकी लिफाफें में निविदादाता के कार्यानुभव एवं निविदा में मांगी गयी अन्य सूचनाओं के साथ अग्रधन (सुरक्षित जमा) राशि सम्मिलित रहेगी।
9. निविदा का वित्तीय लिफाफे में निविदादाता को **प्रति प्रशिक्षण का दर** अंकित करना होगा।
10. तकनीकी मूल्याकंन निविदा में योग्य पाये जाने वाले संस्थान/एन०जी०ओ० का ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को सुरक्षित होगा।
13. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समिति का निर्णय मान्य होगा।

कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

– – – **"स्वच्छ चाईबासा, स्वस्थ चाईबासा"** – – –